*बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली संबंधी विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रत्याशाएं**

एम. के. जैन

श्री सुनील मेहता, अध्यक्ष - इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और सहभागियो ! सभी को गुड ईवनिंग। यह सम्मेलन भारतीय बैंकिंग बिरादरी के और प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा अन्य सेवा प्रदाता क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है ताकि वे भारत में बैंकिंग क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों पर चर्चा कर सकें और भारत में व्यवसायरत बैंकों के लिए भावी कार्यनीति तैयार की जा सके। आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है।

भारत का बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ पूरे बैंकिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं जिससे वित्तीय प्रणाली के परिचालन के तौर-तरीके तथा वित्तीय संस्थानों के कामकाज के तरीके भी बदल गए हैं। वित्त और प्रौद्योगिकी के बीच गठजोड़ से बैंकिंग के कई पहलुओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी को एक ऐसे विघटनकारी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, कारोबारी मॉडल और बैंकिंग क्षेत्र की संरचना में आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेगा। इस आमूलचूल बदलाव ने बैंकों के साथ-साथ उनके विनियामकों के समक्ष भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर दी हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चुनौती अनुपालन की है, जो किसी भी बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आज इसी पहलू पर अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं।

अगर पारिभाषिक रूप में कहें तो विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और अनेक आचार संहिताओं, जिनमें कुछ स्वैच्छिक भी होती हैं, का पालन करना ही अनुपालन है। यद्यपि इनमें से अधिकांश के मूल में बाहरी अपेक्षाएं होती हैं, तथापि संगठन के लिए अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना और नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कारोबार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सशक्त अनुपालन संस्कृति वह होती है जिसमें समुचित आचार संहिताओं का पालन सुनिश्चित होता हो, हितों के टकराव का प्रबंधन किया जा सके और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार होता हो। इस प्रकार, अनुपालन के दायरे में केवल वह नहीं आता जो कानूनी रूप से बाध्यकरी हो, अपितु इसमें कारोबारी निष्ठा और नैतिक आचरण भी शामिल हैं।

अच्छी अनुपालन संस्कृति के लाभ

बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। खराब आचरण और भरोसा टूटने से होने वाली हानि से बचने के लिए बैंकों में ऐसी संस्कृति का होना महत्वपूर्ण है।

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों के लिए कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती है[1] यथा, i) संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम घटाने में; ii) प्रतिष्ठा जोखिम कम करने में; iii) नौकरी करते समय कर्मचारियों में झिझक कम करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में; iv) प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें संगठन में बनाए रखने में तथा कर्मचारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में; v) पारदर्शिता बढ़ाने में जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आ सके; vi) विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध बेहतर बनाने में और vii) निवेशकों के बीच हैसियत बढ़ाने में।

बैंकों द्वारा किए गए एक दबाव परीक्षण सर्वेक्षण में, यह देखा गया कि अनुपालन से कुछ व्यावसायिक लाभ भी हो सकते हैं। दबाव परीक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले बैंकरों में से एक तिहाई से अधिक ने इस ओर इशारा किया कि दबाव परीक्षण के सिद्धांतों के अनुपालन के सर्वप्रमुख फायदों में शामिल हैं-बेहतर जानकारी के आधार पर पूंजी नियोजन से जुड़े निर्णय लेना और संगठन के जोखिमों के बारे में एक दूरदर्शितापूर्ण नजरिया रखना।

इसलिए, यदि ग्राहक संतुष्टि चाहिए, जो तो हमें अनुपालन की संस्कृति को अपनाना होगा क्योंकि ग्राहक संतुष्टि ही इक्विटी पर प्रतिलाभ का मार्ग प्रशस्त करती है।

खराब अनुपालन संस्कृति के दुष्परिणाम

अनुपालन जोखिम कानूनी या विनियामकीय प्रतिबंधों, बड़े वित्तीय नुकसानों, या किसी बैंक की प्रतिष्ठा में गिरावट से जुड़ा

* 20 अगस्त 2019 को आईबीए तथा एफआईसीसीआई, मुंबई द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में वित्तीय संस्था बेंचमार्किंग और कैलिब्रेशन (एफआईबीएसी)-2019 विषय पर श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

[1] *https://www.pm360online.com/silver-linings-10-business-benefits-of-your-compliance-program/*

[2] *https://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2014/08/19/compliance-efforts-can-bring-business-benefits-for-banks/#2b5b69f6772c*

जोखिम है जो तब उत्पन्न हो जाता है जब कोई बैंक कानूनों, विनियमों, नियमों, संगठन द्वारा तैयार किए गए इनसे जुड़े स्व-विनियमन मानकों और आचार संहिताओं का अनुपालन नहीं करता। दूसरी ओर, एक प्रभावी अनुपालन व्यवस्था कारोबार के प्रत्येक क्षेत्र, उत्पाद और प्रक्रिया में निहित अनुपालन संबंधी जोखिमों की पहचान कर सकेगी और ऐसे जोखिमों को कम करने के तरीके विकसित करेगी। प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को विधिवत अभिलिखित किया जाना चाहिए और उसके साथ एक 'क्या करें' सूची और एक 'क्या न करें' सूची भी होनी चाहिए। उचित आचरण का पालन करने में विफलता के उदाहरणों को केस स्टडी के रूप में लेते हुए उनसे सभी स्टाफ को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे इनसे सबक ले सकें और अपने दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव ला सकें।

बैंकों को इस प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है कि अनुपालन खर्चीला होता है बल्कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उचित आचरण से हमारी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने पाती और साथ ही हम अर्थदण्ड से भी बचते हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप से हमें आय होती है जिसकी गणना बैंक नहीं करते और इसीलिए उन्हें यह आय मिल भी नहीं पाती। कमजोर अनुपालन संस्कृति से बैंकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वैश्विक रूप से देखें तो, वित्तीय संकट की शुरुआत से लेकर 2020 तक बैंकों पर जुर्माने और अर्थदण्ड की राशि 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गयी है। हाँगकॉग की एक वित्तीय सेवा परामर्शदाता कंपनी क्विनलान एंड एसोसिएट्स ने अनुमान लगाया कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद से खराब व्यवहार के कारण शीर्ष 50 वैश्विक बैंकों को होने वाले मुनाफे में 850 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो राइट-डाउन, ट्रेडिंग लॉस, जुर्माना और उच्च अनुपालन लागत के कारण हुआ था। जून 2018 से जुलाई 2019 के बीच 76 ऐसे मौके आये हैं जब रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है जिसकी कुल राशि ₹122.9 करोड़ रुपये है।

हालांकि, विनियमन का क्षेत्र जिस प्रकार विकसित हो रहा है, ऐसे में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जुर्माने और दंड का भय पर्याप्त नहीं है। लेकिन जिस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के अंतर्निहित उपाय मौजूद होते हैं, उसमें अनुपालन दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है जिससे संगठन की दक्षता बढ़ जाती है। इसके अलावा, एक सक्षम अभिशासन में अनुपालन, निष्ठा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और ये उस संस्था की कार्यसंस्कृति का अंग बन जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बैंक अपने पूरे संगठन को जिम्मेदारी के साथ काम करने हेतु सशक्त बना पाता है और निरंतर विकसित होते विनियमन और कारोबारी चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक लचीलापन भी संगठन में बना रहता है।

अनुपालन संस्कृति - भारतीय परिदृश्य

रिज़र्व बैंक ने बहुत पहले अगस्त 1992 में बैंकों में एक अनुपालन अधिकारी तैनात करने की प्रणाली प्रारंभ की थी जो बैंकों में धोखाधड़ी और कुप्रथाओं पर गठित समिति (घोष समिति) की सिफारिशों पर आधारित थी। अनुपालन अधिकारियों की भूमिका का महत्व 1995 में तेजी से बढ़ा जब लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन संबंधी क्रियाकलाप की जिम्मेदारी सौंपी गयी और उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वे आवधिक रूप से अनुपालन से जुड़े कार्यों की रिपोर्ट या प्रमाण सीधे मुख्य प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करें। हालांकि, धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि बैंकों में अनुपालन से जुड़े कार्यों की परिधि को न केवल बढ़ाना होगा, बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करना होगा, विशेषकर एक ऐसे परिदृश्य में जब बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत एक के बाद एक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों में अनुपालन से जुड़ी अनेकानेक कमियाँ उजागर हो रही हों। इसके बाद जब बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा अप्रैल 2005 में बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्यप्रणाली पर उच्च स्तरीय पेपर जारी किया गया तब अनुपालन कार्यप्रणाली की आवश्यकता और उसके महत्व को देखते हुए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों को और गति मिली। इन सिद्धांतों ने वर्ष 2007 में बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली को और सख्त बनाने के लिए हमें एक आधार दिया। वित्तीय संकट के बाद, खासकर व्यवहार, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल), और ग्राहकों के अलग-अलग वर्ग के लिए तैयार किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों की उपयुक्तता जैसे क्षेत्रों में अनुपालन पर जोर काफी बढ़ गया है।

इस संदर्भ में, एक अच्छी अनुपालन संस्कृति से होने वाले लाभों तथा खराब आचरण से होने वाले नुकसानों को पहचानते हुए भारतीय बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति विकसित करें। अपने पर्यवेक्षी दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों की अनुपालन संस्कृति में अनेक खामियाँ देखी हैं। इनमें से कुछ अनियमितताएं तो ऐसी हैं

[3] *https://in.reuters.com/article/banks-regulator-fines/u-s-eu-fines-on-banks-misconduct-to-top-400-billion-by-2020-report-idINKCN1C210D*

जो बार-बार सामने आती रही हैं, हालांकि बैंकों के प्रबंधतंत्रों द्वारा उनका अनुपालन कर लिए जाने की सूचना दी जाती रही है। मैं बैंकों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली में समग्र सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास करें।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अगर संबंधित बैंकों में एक अच्छी अनुपालन संस्कृति विकसित कर ली गयी होती, तो धोखाधड़ी के कारण बैंकों को होने वाले कुछ बड़े नुकसानों से बचा जा सकता था। जैसा कि पहले परिभाषित किया गया था, अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन भी शामिल होता है। धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में, एक सामान्य बात यह होती है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, इसमें फँसी धनराशि की मात्रा और धोखाधड़ी के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों की जटिलताओं ने बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर किया है।

साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुपालन जोखिम

एक बात और है जिस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। आम तौर पर, साइबर रेजिलिएंश फ्रेमवर्क का उद्देश्य तीन व्यापक मुद्दों से जुड़े खतरों से निपटना होता है - गोपनीयता भंग होना (गोपनीय डेटा चोरी होना), उपलब्धता समाप्त हो जाना (सिस्टम मौजूद है, लेकिन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं), और निष्ठा का भंग होना (डेटा या सिस्टम से जुड़ा भ्रष्टाचार जिससे सूचना और उसके संसाधन की प्रणाली में निष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है)। इन उल्लंघनों से संबंधित अनुपालन जोखिम का महत्व बढ़ता जा रहा है और इनसे प्राथमिकता के आधार पर निपटना जरूरी है।

अनुपालन संस्कृति संबंधी न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षा

अनुपालन की शुरुआत शीर्षस्तर से होती है। शायद आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में मैंने कुछ चुनिंदा बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बैंकों के निदेशक मंडल के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंध तंत्र से यह अपेक्षा है कि वे शीर्ष स्तर से पहल करते हुए एक मजबूत अनुपालन संस्कृति की शुरुआत करें। अनुपालन को संगठन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए; इसे केवल अनुपालन कार्य से जुड़े स्टाफ का कार्य नहीं माना जाना चाहिए। यह बैंक में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ सदस्य की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए और अनुपालन न होने की स्थिति में बैंक की प्रत्येक कारोबारी इकाई को समान रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कारोबार के दौरान बैंकों को उच्च मानक हासिल करने चाहिए और कानूनों का अनुपालन सही भावना से करना चाहिए। भले ही कोई कानून न तोड़ा गया हो, परंतु शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और बाजारों पर अपने क्रियाकलाप के प्रभाव को समझने में यदि भूल हुई तो इसके परिणाम गम्भीर दुष्प्रचार और प्रतिष्ठा जोखिम के रूप में देखने को मिल सकते हैं।

प्रभावी अनुपालन कार्यप्रणाली के लिए मजबूत अनुपालन संस्कृति एक अनिवार्य शर्त है।

अगर हम थोड़ा और गहन विश्लेषण करें तो पाएंगे कि किसी सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं-

शीर्षतंत्र की मंशा - क्या बोर्ड के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बताए गए संस्थागत मूल्य संस्था के कामकाज में परिलक्षित होते हैं। बोर्ड द्वारा की जाने वाली अनुपालन कार्यप्रणाली की निगरानी केवल नीतियाँ तैयार करने और इसकी आवधिक समीक्षा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बैंक की अनुपालन नीति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि निदेशक मंडल पूरे संगठन में ईमानदारी और निष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ावा नहीं देता। बोर्ड को एक गुणवत्ता गारंटी और सुधार कार्यक्रम तैयार करते हुए उसे निरंतर चलाना चाहिए जिसमें अनुपालन क्रियाकलाप के सभी पहलू शामिल हों।

उत्तरदायित्व : बैंक का वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि प्रबंध-तंत्र और कर्मचारियों द्वारा बैंक की अनुपालन नीति का पालन प्रभावी तरीके से किया जा रहा है; और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अनुपालन जोखिम कम से कम हो। स्वस्थ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने की संस्कृति; वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र, कार्यकारी प्रमुख और परिचालन प्रमुख के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन; प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कारोबारी इकाई की भूमिका और प्रतिरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में लेखापरीक्षा की भूमिका – इन सभी का अपना महत्व है।

वैचारिक आदान-प्रदान : आम तौर पर सभी स्टाफ सदस्यों और स्टाफ के विशिष्ट समूहों के लिए लागू सामान्य मानकों में अंतर करते हुए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रभावी अनुपालन संस्कृति के लिए यह अपेक्षित है कि पूरे बैंक में जोखिम और अनुपालन और प्रथाओं से संबंधित अपेक्षाओं की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की जाए; बोर्ड के मौजूदा और

नए सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए अनुपालन जागरूकता चैनल उपलब्ध हो; आचरण से जुड़े जोखिम को कम करने की प्रक्रिया मौजूद हो और ह्विसिल-ब्लोअर व्यवस्था लागू हो।

प्रोत्साहन संरचना : वांछित अनुपालन संस्कृति लागू करने के लिए बैंक के निर्णय लेने की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में एक समुचित प्रोत्साहन संरचना अंतर्निहित होनी चाहिए।

दूरदर्शी और अग्रसोची दृष्टिकोण : अनुपालन अन्य आश्वासन वाले कार्यों, यथा-जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा, से भिन्न है। अनुपालन कार्यप्रणाली निवारक अनुपालन पर केंद्रित होनी चाहिए। परिभाषा के अनुसार, निवारक अनुपालन पहले से ही बैंक की गतिविधियों का आकलन करके रखेगा और अनुपालन न करने वाली गतिविधियों / लेनदेन के घटित होने से पहले ही उन्हें रोक देगा। अनुपालन को दूरदर्शी और अग्रसोची गतिविधि बनाया जाना चाहिए।

अनुपालन का ढाँचा, प्राधिकार और संसाधन: किसी भी बैंक को अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली की संरचना स्वयं तैयार करनी चाहिए और अपने अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिकताएं इस प्रकार तय करनी चाहिए जो उसकी अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति और संरचना से मेल खाती हों। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक अपने परिचालन जोखिम क्रियाकलाप के भीतर ही अपने अनुपालन कार्यों को रखना चाहेंगे क्योंकि अनुपालन जोखिम और परिचालन जोखिम के कुछ पहलुओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरे बैंक अनुपालन और परिचालन जोखिम वाले कार्यों को अलग-अलग रखना पसंद कर सकते हैं लेकिन संभव है वे अनुपालन मामलों पर एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जिसमें इन दोनों कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अपेक्षा हो। बहरहाल, बैंक के भीतर अनुपालन कार्य चाहे किसी भी प्रणाली से किया जा रहा हो, यह समुचित रूप से अधिकार सम्पन्न, उच्च स्तरीय, स्वतंत्र, साधन-संपन्न होना चाहिए और इसकी बोर्ड तक पहुंच होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए, और इसकी गतिविधियों की आवधिक और स्वतंत्र समीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए। प्रबंधन को अनुपालन कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उसकी पूर्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हालांकि यह पुनरावृत्ति होगी तथापि, मैं पुन: जोर देकर कहना चाहता हूं कि अनुपालन बैंक के प्रत्येक स्टाफ की साझा जिम्मेदारी है।

कॉर्पोरेट अभिशासन का महत्व

सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति के विकास के लिए जहाँ फीडबैक प्रणाली का मौजूद होना महत्वपूर्ण है, वहीं, बैंक में ऐसा स्वस्थ वातावरण होना चाहिए जो मजबूत आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से ऐसी संस्कृति का पोषण करता हो और इसकी शुरुआत बैंक के बोर्ड स्तर से ही करनी होगी। बैंक को ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर कार्य की प्रेरणा पदानुक्रम में ऊपर से नीचे की ओर ही कार्य कर सकती है।

कॉर्पोरेट अभिशासन के तहत उन शक्तियों और उत्तरदायित्वों के आबंटन का कार्य किया जाता है जिनके आधार पर किसी भी बैंक का कारोबार उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र द्वारा चलाया जाता है जिसमें यह भी शामिल होता है कि वे कॉर्पोरेट संस्कृति, कॉर्पोरेट क्रियाकलापों का समन्वय किस प्रकार करें कि बैंक सुरक्षित और मजबूत तरीके से, कारोबारी निष्ठा के साथ और यथालागू कानूनों और नियमों का अनुपालन करते हुए अपना व्यवसाय कर सके। इस संदर्भ में, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोर्ड को प्रत्येक बैंक के आकार, उसके कारोबार की जटिलता, जोखिम लेने की क्षमता, उसके कारोबारी मॉडल और दर्शन के अनुसार नीतियों को अपनाना चाहिए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली नीतियों में इकाई विशेष से जुड़ी अनिश्चितताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, मात्र नीतियों को अपनाने से कोई समाधान नहीं निकलता। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि पूरी फर्म में उन नीतियों में अंतर्निहित सोच को प्रसारित किया जा सके। इसमें एक सशक्त अनुपालन संस्कृति की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है।

निष्कर्ष

पूरे बैंकिंग जगत में अनुपालन की संस्कृति में बहुत सारे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बैंकों के पर्यवेक्षक के तौर पर, रिज़र्व बैंक इस बात को लेकर बहुत गम्भीर है कि बैंकों में सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस और स्वस्थ अनुपालन संस्कृति हो क्योंकि ये बैंकों के सुरक्षित एवं अच्छे कारोबार के लिए अपरिहार्य हैं और यदि इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता, तो यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अच्छी तरह से अभिशासित बैंक कुशल और वहनीय लागत वाली पर्यवेक्षी प्रक्रिया तैयार करने में योगदान करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम ही पड़ती है। इस प्रकार की सुदृढ़ संस्कृति ऐसे संगठन तैयार करने में सहायक बनेगी जो

मजबूत होंगे, जिनमें वित्तीय आघातों को झेलने की क्षमता होगी, जिनमें अनुशासन होगा और जिनकी लाभप्रदता संधारणीय होगी तथा जिनमें ग्राहकों का विश्वास बना रहेगा। इसके लिए कई पर्यवेक्षी कदम भी उठाए जाने होंगे जिनके फलस्वरूप, यदि अनियमितताएं पायी जाती हैं तो, प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।

दुनिया भर में अनुपालन की भूमिका पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा रहा है और केंद्रीय बैंकों तथा बैंकरों द्वारा एकसमान रूप से यह स्वीकार किया गया है कि अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। विनियामकों, पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने वालों द्वारा इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लगा है कि तरह-तरह के नियमों और विनियमों को लागू करना तब तक एक निरर्थक कवायद साबित होती रहेगी जब तक विनियमित संस्थाएं इनका अनुपालन इनमें अंतर्निहित मूल भावना के अनुसार नहीं करेंगी।

यदि बैंकों में सशक्त कॉर्पोरेट अभिशासन और स्वस्थ अनुपालन संस्कृति होगी, तो पर्यवेक्षक के लिए उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर कर सकेंगे। इस संबंध में, पर्यवेक्षी अनुभव से भी यही बात निकलकर सामने आती है कि प्रत्येक बैंक के भीतर निदेशक मण्डल, वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र को प्रदत्त शक्तियों, जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों और जांच एवं संतुलन के साथ-साथ जोखिम, अनुपालन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से दिए जाने वाले आश्वासनों का विशेष महत्व है।

मुझे उम्मीद है कि बैंकिंग में उभरते रुझानों, वैश्विक विनियामकीय परिदृश्य, भारत में लागू हुए नई दीवाला व्यवस्था और बैंकों के कामकाज के तरीकों को प्रभावित करने वाले प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेषों पर पिछले दो दिनों से जो विचार-विमर्श चल रहा है उससे बैंकों को न केवल उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी बल्कि लेकिन देश में समावेशी और अनुपालन उन्मुख बैंकिंग के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए बैंकों को इस नए प्रतिमान द्वारा प्रदत्त अवसर का उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी।

संदर्भ

Bank of International Settlements (2005), 'Compliance and the compliance function in banks', *BIS*

Bank of International Settlements (2015), 'Corporate governance principles for banks – Guidelines', *BIS*

Flanner, Mark. J (2010), 'Market Discipline in Bank Supervision', *Chapter 15 of The Oxford Handbook of Banking, First Edition, OUP*

Hagendorff, Jens (2015), 'Corporate Governance in Banking', *Chapter 6 of The Oxford Handbook of Banking, Second Edition, OUP*

Mundra, S. S. (2014), 'Re-emphasizing the Role of Compliance Function In Banks', Speech delivered at the *CAFRAL Conference of Chief Compliance Officers in RBI, Mumbai*

Chakrabarthy, K. C. (2013), 'Compliance function in banks – back to the basics', Speech delivered at the launch of *Certificate Programmes on Compliance Function and Training, Mumbai*

Padmanabhan, G. (2015), 'Emerging Issues in Cyber Security in the Financial Sector', Speech delivered at the *Sri Chithira Thirunal Memorial Lecture Series organised by the State Bank of Travancore, Thiruvananthapuram*